

URGENT/OUT TODAY

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
2ND LEVEL, 'A' WING: DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

F.18/16/2018/VSQ/GAD/Admn./ 994-95

Dated: 19/03/18

To

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi - 54.


Sub: Copy of reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 176 raised by Sh. Ram Chandra.

Sir/Madam

I am directed to forward herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 176 raised by Sh. Ram Chandra, due for reply on 21/03/2018.

This issues with the approval of Hon'ble Minister, GAD.

Yours faithfully,


(AMITABH KUNDOO)
DY. SECRETARY (GAD)


Encl: As above.

F.18/16/2018/VSQ/GAD/Admn./ 994-95

Dated: 19/03/18

Copy forwarded for information to:-

1. The director, Directorate of information & Publicity, GNCT of Delhi.
Block No. IX, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 copies in Hindi).


(AMITABH KUNDOO)
DY. SECRETARY (GAD)



सामान्य प्रशासन विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

दूसरा तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली- 110002


विधान सभा अतारांकित संख्या 176

दिनांक : 21.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री राम चंद्र

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित 244 शिकायतें दर्ज की गईं जिसमें से 13 शिकायतें अभी भी लंबित हैं	जी हाँ, 27.02.18 तक 244 शिकायतें दर्ज की गईं जिसमें से 13 शिकायतें लंबित थीं / लंबित 13 शिकायतों का जवाब जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा निवारण कर दिया गया है।
ख)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 12 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं, यदि हाँ तो इसका कारण क्या है ;	जी हाँ, कई कारण हैं जैसे कोर्ट केस, विभाग से असंबंधित, असंगत होना और ऐसे प्रतिवेदन जिनका पहले ही कई बार जवाब दिया जा चुका है।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि 77 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब / कारवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है, यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है;	सभी प्रतिवेदनों का विभागीय नियमों के तहत जवाब दिया जा चुका है।
घ)	क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय - समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए ;	जी हाँ
ङ)	इन शिकायतों का समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं;	विभाग ने सभी शिकायतों का समय पर निवारण के लिए निर्देश /आदेश जारी किए हैं।
च)	निवारण के लिए ये शिकायतें किन-किन अधिकारियों के पास और कब-कब भेजी गईं, इसका विवरण प्रदान करें;	इसकी जानकारी जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) में उपलब्ध है।
छ)	संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और	सभी शिकायतों का निवारण हो गया है।
ज)	इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जाएगा ?	


(मनोज कुमार परिदा)
प्रधान सचिव(स.प्र.वि.)